कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–02
दिनांकः–   09 जून, 2014

निश्चय संख्या–01

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक– 01.05.2014 में
"बिन्दु संख्या–01" में अधोलिखित निर्णय लिया

बिन्दु सं0(01)– कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20.03.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कृत कार्यवाही की सूचना।

निर्णय – कार्य परिषद की गत बैठक दिनांक 20.03.2014 की कार्यवृत्त के पुष्टि पर विचार के समय कतिपय सदस्यों द्वारा बिन्दु–01 के अन्तर्गत डॉ0सुशील कुमार गौतम के नाम के पश्चात् "सदृश्य" शब्द जोड़ने के निर्णय का उल्लेख किया गया जिससे परिषद सहमत हुई।

परिषद के मा0 सदस्य डॉ0आर0पी0 सिंह (संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय) ने अध्यक्ष की अनुमति बिन्दु संख्या–01 के अन्तर्गत (छात्र कल्याण संकाय के प्रस्ताव बिन्दु–02) में लिये गये निर्णय **"उम्मीदवार के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूर्णकालिक नियमित छात्र होना अनविार्य होगा। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यकम अथवा इसके समतुल्य कोई पाठ्यकम यथा स्ववित्तपोषित पाठ्यकम एवं एक वर्ष से कम अवधि वाले पाठ्यकम में नामांकित छात्र चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते।........।"** उक्त पैरा में "यथा स्ववित्तपोषित पाठ्यकम" शब्दों को टंकण त्रुटि बताया। परिषद ने उक्त टंकण त्रुटि को विलोपित करने के निर्णय के साथ कार्यवृत्त को पुष्ट किया और कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

डॉ0(साहब लाल मौर्य)
कुलसचिव

पत्रांकः– कु०स०–रसी०समिअ०/ 2098 /कार्य परि०बैठक–03–4/14   तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0कुलपति जी–सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यकम प्रभारी।
4. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण संकाय।
5. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय बलिया, चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, सं0र0न0भदोही एवं वाराणसी।
6. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से उपर्युक्त निश्चय को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दें।
7. उपकुलसचिव, सा0प्रशासन।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव